

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं: अध्याय I में राज्य की वित्तीय रूपरेखा, लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन सम्मिलित है। इस प्रतिवेदन का अध्याय II (i) छत्तीसगढ़ में एनीकटों की आवश्यकता, निर्माण एवं उपयोगिता, (ii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का कार्यान्वयन, (iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा (iv) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में “ई-वर्क्स” की सूचना प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा विषय पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। अध्याय III (i) छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा (ii) छत्तीसगढ़ में सेतुओं का निर्माण (iii) पशुधन विकास विभाग के द्वारा पशुधन का वितरण तथा (iv) कृषि विभाग (कृषि प्रकोष्ठ) के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में सात लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्फल व्यय, निष्क्रिय निवेश, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, हानि, अदेय लाभ, अधिक भुगतान आदि मुद्दों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष ₹ 2,183.27 करोड़ मूल्य के हैं।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है। लेखापरीक्षा के नमूने सांख्यिकीय नमूना पद्धति के साथ-साथ जोखिम आधारित विवेकीय प्रतिचयन के निष्कर्ष के आधार पर लिये गये हैं। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुशंसायें शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गयी हैं। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

1 कार्यक्रमों/क्रियाकलापों/विभागों का निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) छत्तीसगढ़ में एनीकटों की आवश्यकता, निर्माण एवं उपयोगिता पर निष्पादन लेखापरीक्षा

जल संसाधनों का प्रबंधन छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति 2001 का हिस्सा है और जल संसाधन विभाग इसके लिये उत्तरदायी है। एनीकट नदी अथवा जलधारा पर पेयजल, कृषि, औद्योगिक उपयोग एवं निस्तारी आदि के लिये जल के प्रदाय एवं नियंत्रण हेतु निर्मित एक बांध है। राज्य शासन ने 769 एनीकटों के क्रियान्वयन हेतु मार्च 2016 की स्थिति में राशि ₹ 2,679.92 करोड़ का व्यय किया। मार्च 2016 को स्थिति में 769 एनीकटों में से 489 एनीकट पूर्ण हुये। शेष 280 एनीकटों का निर्माण अब भी पूर्ण किया जाना शेष है। लेखापरीक्षा के दौरान 89 एनीकटों (72 पूर्ण एवं 17 अपूर्ण) से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच की गई।

अवधि 2011–16 के दौरान निर्मित इन एनीकटों की आवश्यकता निर्माण एवं उपयोगिता पर निष्पादन लेखापरीक्षा में अनेक कमियां पाई गई जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं :

एनीकटों के निर्माण की योजना तैयार करते समय, खराब फसल, वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में भूजल स्तर आदि के आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि, विभाग द्वारा वर्ष 2005 में 595 एनीकटों के निर्माण की योजना के समय इन कारकों का ध्यान नहीं रखा। परिणामस्वरूप, विभाग मात्र 231 एनीकटों का निर्माण प्रारंभ कर सका। अतः विभाग ने अवधि 2005–16 के दौरान 538 अतिरिक्त एनीकटों को स्वीकृत किया जिससे निर्माण के लिये कुल 769 एनीकट थे।

विभाग, भूमि विवाद, भूमि मुआवजों के प्रकरणों, ठेकेदारों के द्वारा कार्य की धीमी गति इत्यादि के कारण विगत एक से 10 वर्षों में राशि ₹ 1,095.74 करोड़ के व्यय के बाद भी 280 एनीकटों का निर्माण पूर्ण नहीं कर सका।

यह स्पष्ट है कि एनीकटों का चयन बिना किसी मानदण्डों के किया गया क्योंकि 72 चयनित एनीकटों में से 35 एनीकट ऐसे नालों और नदियों पर स्वीकृत किये गये जो जल के बारहमासी स्त्रोत नहीं थे जबकि 22 में मात्र छः से आठ माह जल था और केवल 10 एनीकट ही निर्दिष्ट सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर सके।

बहत्तर नमूना जांच एनीकटों में से चार निर्माण के एक से पांच वर्षों के अंदर क्षतिग्रस्त हुये। परिणामस्वरूप, इन एनीकटों के निर्माण के मुख्य उद्देश्य, निस्तारी एंव कृषि कार्य हेतु (635 हेक्टेअर कृषि भूमि) जल के संग्रहण के साथ ही भूजल स्तर में वृद्धि की किसी भी रूप में पूर्ति नहीं हो सकी। इसके अलावा इससे शासन को राशि ₹ 3.22 करोड़ की हानि भी हुई।

एनीकटों के निर्माण के निर्दिष्ट उद्देश्य जैसे कि भू-जल संवर्धन और रबी मौसम में सिचांई की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि 72 में से 47 पूर्ण चयनित एनीकट भू-जल स्तर बढ़ाने में सहयोग नहीं कर सके जिसे केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्लूबी) द्वारा प्रमाणित किया गया। सीजीडब्लूबी द्वारा दिए गये आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि 18 एनीकटों ने भू-जल स्तर वृद्धि में मदद की है। तथापि, सात एनीकटों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

(कंडिका 2.1)

(ii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का कार्यान्वयन

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। आरटीई अधिनियम छः से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों को आसपास के विद्यालयों में अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्षों के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ शासन ने अधिनियम की धारा 38 के अनुपालन में नियम तैयार (नवम्बर 2010) किया जिसे छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (सीजीआरटीई) नियम 2010 के रूप में परिभाषित किया गया।

वर्ष 2010–16 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के कार्यान्वयन के निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

राज्य शासन ने डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान प्रारंभ किया। शासन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार कुल विद्यालयों में केवल 25 प्रतिशत विद्यालयों ने ग्रेड 'ए' प्राप्त किया। शेष 75 प्रतिशत को 'बी' से 'डी' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया जिसमें 12 प्रतिशत को केवल ग्रेड 'डी' में रखा गया।

राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन के लगभग सात वर्ष पूरा होने के बावजूद 879 बसाहटों में विद्यालय नहीं था। इसके अलावा मार्च 2016 की स्थिति में 1231 बसाहटों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (उ.प्रा.वि.) भी नहीं था।

नई पीढ़ी का अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के प्रति झुकाव तथा पालकों के निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देने के कारण समस्त प्राथमिक विद्यालयों (प्रा.वि.) में बालकों के नामांकन में वर्ष 2010–11 की तुलना में 2015–16 के दौरान 11.56 प्रतिशत तक कमी आई।

सात नमूना जांच जिलों में से दो जिलों में 2010–11 तथा 2015–16 के दौरान बालकों के ड्रापआउट दर में 41 प्रतिशत से 109 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। पांच जिलों के मामलों में ड्रापआउट दरों में 2010–11 तथा 2015–16 के दौरान सात प्रतिशत से 81 प्रतिशत तक की कमी हुई। तथापि, राज्य में बालकों का ड्रापआउट दर 1.36 प्रतिशत (2011–12) से कम होकर 0.81 प्रतिशत (2015–16) रहा।

प्रशिक्षण की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षित बालकों के विरुद्ध विद्यालय से बाहर रहे बालकों का आयु के अनुसार प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण में 60 से 83 प्रतिशत तक की कमी रही।

2011–16 के दौरान, निधि के आभाव के कारण केवल 14 से 67 प्रतिशत दिव्यांग बालकों को परिवहन सुविधाएं प्रदान नहीं की गई जबकि 36 प्रतिशत से 84 प्रतिशत नेत्रहीन बालकों को अनुरक्षण सुविधाएं प्रदान नहीं की गई।

दो सौ दस विद्यालयों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 22 प्रतिशत विद्यालयों में बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शैचालय नहीं था, 20 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं था तथा 43 प्रतिशत विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं था।

मार्च 2016 की स्थिति में, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 20 प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित थे।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मापदंड के अनुसार, भारत शासन ने प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के बालकों को पाठ्यपुस्तकों उपलब्ध कराने हेतु प्रति बालक क्रमशः ₹ 150 तथा ₹ 250 की सीमा निर्धारित की थी। तथापि, राजीव गांधी शिक्षा मिशन ने राज्य में 2012–16 के दौरान प्रति बालक ₹ 256 से ₹ 317 की दर से पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराया था।

गणवेश क्रय में संलग्न राज्य शासन की दो एजेंसियों में से एक एजेन्सी ने दूसरे अन्य एजेन्सी से उच्चतर दर में गणवेश क्रय किया जिसके फलस्वरूप अधिक भुगतान हुआ।

वित्तीय अनियमितताएं जैसे कि ₹ 9.69 करोड़ की निधि का दुरुपयोग, ₹ 166 करोड़ मूल्य के असमायोजित अग्रिम, पंचायत शिक्षकों को ₹ 5.12 करोड़ का अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान आदि भी देखा गया था।

(कंडिका 2.2)

(iii) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (पीएमजीएसवाई) की निष्पादन लेखा परीक्षा

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच विहीन बसाहटों तक बारहमासी सङ्क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत की गयी। वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान योजनांतर्गत 2,588 बसाहटों को जोड़ा गया जबकि 581 बसाहटें अभी तक (नवंबर 2016) ग्रामीण सङ्क नेटवर्क से जुड़ने से रह गयी हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना (पीएमजीएसवाई) की अवधि 2011–16 के निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011–15 की अवधि के दौरान वार्षिक लक्ष्य तय नहीं किए गए थे जबकि 2011–14 की अवधि के दौरान व्यय दक्षता बहुत ही कम रही तथा 17 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के मध्य थी। लक्ष्यों के निर्धारण का अभाव एवं इन्हन व्यय दक्षता प्रमुख कारण थे जिनके कारण अभी तक बसाहटें पहुंच विहीन रह गई हैं।

जहाँ सङ्क कार्यों का क्रियान्वयन तीन मीटर के कैरेज विड्थ के स्थान पर 3.75 मीटर के उच्चतर कैरेज विड्थ से किया गया जिसके कारण ₹ 9.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

हुआ वहीं सड़कों के एलाइनमेंट में आने वाली नदियों/नालों पर सेतुओं के निर्माण के अभाव में लक्षित बसाहटों को सड़क संपर्कता प्रदान नहीं किये जाने के कारण ₹ 23.29 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा।

अनुबंध प्रबंधन के कारण कार्यों की लागत का ₹ 21.22 करोड़ से बढ़ जाना, दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जाने के कारण ₹ 2.93 करोड़ की अतिरिक्त लागत, ₹ 9.48 करोड़ की परिसमापन क्षतियों का वसूल नहीं किया जाना और बढ़ हुए मापों के कारण ₹ 8.03 करोड़ का अधिक भुगतान के अतिरिक्त 82 कार्यों के क्रियान्वयन में एक से 129 महीनों तक के विलंब के दृष्टांत पाये गए। सभी स्तरों पर एक विस्तृत तंत्र निर्धारित होने के उपरांत भी अनुश्रवण प्रभावी नहीं था। राज्य गुणवत्ता मॉनिटर (एसक्यूएम) के निरीक्षणों में 203 की तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एनक्यूएम) के निरीक्षणों में 139 की कमी थी।

(कंडिका 2.3)

(iv) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई-वर्क्स पर सूचना प्रौद्योगिकीय लेखापरीक्षा

ई-वर्क्स, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में लागू (दिसंबर 2012) एक वेब आधारित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य मैनुअल कार्य को कम करना, कार्य प्रक्रिया को कारगर बनाना और योजना एवं अनुश्रवण में दक्षता लाना तथा उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ कार्यालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था। यह एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) रायपुर द्वारा विकसित, रूपांकित एवं संधारित किया जाता है।

अप्रैल 2016 से नवम्बर 2016 के मध्य निष्पादित ई-वर्क्स की सूचना-प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागीय आवश्यकताओं के आकलन हेतु यूजर रिक्वायमेंट स्पेसिफिकेशन बनाया नहीं गया था, जबकि एन.आई.सी द्वारा तैयार किया गया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। तथापि प्रणाली को विभागीय आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पॉयलेट टेस्टिंग के बिना ही दिसम्बर 2012 में लागू कर दिया गया था।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ई-वर्क्स अनुकूलन की योजना एवं क्रियान्वयन में कमियां थीं क्योंकि 25 में से 11 मुख्य विभागीय आवश्यकताओं को प्रणाली में समाहित नहीं किया गया था जबकि 14 प्रमुख आवश्यकताएं जिन्हें समाहित किया गया था उनमें से पांच क्रियाशील नहीं थीं। शेष नौ समाहित विभागीय आवश्यकताएं यद्यपि उपयोग में लाई जा रही थीं किन्तु वे वांछित परिणाम देने में असमर्थ थीं।

प्रणाली को बाईपास कर राशि ₹ 2.22 करोड़ के गबन, प्रणाली द्वारा राशि ₹ 57.91 करोड़ के अनाधिकृत सेल्फ चेक आहरण, 'गैर-अनुबंधित बिल मोड्यूल' के द्वारा राशि ₹ 344.49 करोड़ के अनियमित भुगतान तथा नियंत्रण के अभाव के कारण डिपॉजिट कार्य पर प्राप्त राशि से ₹ 1.29 करोड़ का अधिक व्यय इत्यादि योजना एवं कार्यों के क्रियान्वयन में कमियों के परिणाम थे।

प्रचालन नियंत्रण उपयुक्त नहीं था क्योंकि प्रणाली गलत वर्क कोड उत्पन्न कर रही थी एवं लोक निर्माण विभाग के शीर्ष अब भी प्रणाली में उपलब्ध थे जबकि प्रणाली का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु अनुकूलन चार वर्ष से अधिक समय पूर्व ही किया जा चुका था। उचित सुरक्षा नीति के अभाव तथा पहुंच नियंत्रण तंत्र जैसे एकल आई डी एवं कर्तव्यों के पृथक्करण के अभाव ने प्रणाली को अनाधिकृत पहुंच हेतु असुरक्षित बना दिया था।

प्रणाली में कमियों के कारण विभाग मासिक लेखे को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतिम उत्पाद के रूप में प्रणाली से उत्पन्न नहीं कर पाने से उसे मानवीय तरीके से तैयार किये जाने को विवश है। इस तरह प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ाने एवं मानव हस्तक्षेप कम करने के ई-वर्क्स लागू करने का उद्देश्य वर्तमान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.4)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा पर लेखा परीक्षा

चिकित्सा शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य लोगों के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण तृतीयक चिकित्सा देखभाल के लिए उच्च दक्ष जनशक्ति जैसे डॉक्टरों एवं नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है तथा मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। एलोपैथी शाखा के तहत छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा के अवधि 2011–16 की लेखापरीक्षा में निम्नानुसार पाया गया :

यद्यपि राज्य शासन ने प्रतिकूल डॉक्टर मरीज अनुपात को 1:17000 से 1:000 तक तथा नर्स–जनसंख्या अनुपात 21:100000 से 75:100000 तक नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने कोई व्यापक योजना तैयार नहीं की।

राज्य में एलोपैथी शाखा के तहत 25,500 के अनुमानित लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 1,642 डॉक्टर हैं परन्तु अनुचित नियोजन के कारण धन की उपलब्धता के बावजूद भी अन्तर को कम करने के लिए उसने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किसी भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं की। आगे, 963 विशेषज्ञ डॉक्टरों (एलोपैथी) के स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 46 (4.77 प्रतिशत) विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की गई थी। राज्य शासन, विशेषज्ञ डॉक्टरों के सृजन के लिए एमसीआई के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना सुविधाओं के निर्माण तथा शिक्षकों की नियुक्ति करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन राज्य में सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम स्थापित करने में भी विफल रही।

राज्य में डॉक्टरों नर्सों, सिविल अधोसंरचना, विशेषज्ञता एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की कमी के बावजूद योजना एवं कार्यान्वयन की विफलताओं के कारण राज्य में चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹ 1,160.42 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 4,16.55 करोड़ (35.9 प्रतिशत) की निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप राज्य में मौजूदा मेडिकल कॉलेज स्टाफ की कमी (17.52 से 68.54 प्रतिशत), उपकरणों के अभाव (19.25 से 82.7 प्रतिशत) तथा कम बेड ऑक्यूपेंसी के साथ संचालित हो रहे हैं जिससे कि चिकित्सा छात्रों के व्यावसायिक अनुभव के साथ समझौता किया जा रहा है।

(कंडिका 3.1)

(ii) छत्तीसगढ़ में सेतुओं के निर्माण की लेखा परीक्षा

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) राज्य के सेतुओं के सर्वेक्षण, डिजाइन, सुधार और रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख एजेंसी है। अवधि 2011–16 हेतु छत्तीसगढ़ में सेतुओं के निर्माण का लेखापरीक्षा किया गया। कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

लोक निर्माण विभाग द्वारा सेतु कार्यों के लिए निगरानी ढांचा नहीं बनाया गया था। परिणामस्वरूप, 2011–16 के दौरान सेतु कार्यों के 78 प्रतिशत मामलों में पूर्णता में विलंब था। छियासठ से 93 प्रतिशत सेतु कार्यों में प्रगति के लिए निर्धारित माईल स्टोन प्राप्त नहीं किया जा सका। यद्यपि विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर ठेकेदारों को कार्य सौंपा जाना आवश्यक था, कार्य प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता द्वारा ड्राईंग और डिजाईन के अनुमोदन में विलंब और ठेकेदारों को सेतु कार्य सौंपे जाने के बाद कार्यालय अभियंता द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू किए जाने के दृष्टान्त थे। परिणामतः 126 में से 87 नमूना जांच की गई सेतुओं में, एक से 81 महीने का अधिक समय और ₹ 9.53 की करोड़ की लागत वृद्धि हुई तथा कार्य की प्रकृति और मात्रा में ₹ 44.81 करोड़ मूल्य का भिन्नता आई।

छ: नमूना जांच सेतु 100 साल की डिजाइन जीवन के विपरीत उनके पूर्ण होने के तीन से 10 वर्ष के भीतर या निर्माण के दौरान कार्यों के निम्न स्तरीय क्रियान्वयन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.79 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र अनुपस्थित था क्योंकि ठेकेदारों को प्रदान की गई समयवृद्धि के बारे में विभाग को ज्ञात नहीं था।

₹ 8.51 करोड़ का अनियमित भुगतान, ₹ 2.20 करोड़ का अधिक भुगतान, ₹ 11.79 करोड़ का निष्फल व्यय, ₹ 1.05 करोड़ का अमान्य भुगतान और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण विशिष्टताओं का उल्लंघन कर ₹ 60.77 करोड़ के कार्य जैसे मामले थे। लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर, 20 नमूना सेतु कार्यों में विभाग ने रिबेट, कार्य के विलंब से क्रियान्वयन के लिए दंड, मूल्य समायोजन के गलत गणना आदि के लिए ₹ 6.62 करोड़ की वसूली की। इसके अतिरिक्त, तीन अन्य मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की गई।

(कंडिका 3.2)

(iii) पशुधन विकास विभाग द्वारा पशुधन वितरण पर लेखापरीक्षा

पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, पशुधन के संरक्षण, सुरक्षा एवं वृद्धि, पशुओं के नस्ल सुधार तथा पशुधन उत्पादों (दूध, मांस एवं अंडे) के विक्रय से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पूरक पारिवारिक आय का सृजन करने हेतु, अवधि 2011–16 के दौरान सात योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इनमें से लेखापरीक्षा में अवधि 2011–16 की पांच योजनाओं की समीक्षा की गयी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं –

अवधि 2011–16 के दौरान विभाग ने दूध, अंडे एवं मांस का उत्पादन लक्ष्य राष्ट्रीय औसत से कम निर्धारित किया। परिणामस्वरूप, राज्य में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रतिव्यक्ति दूध (प्रतिदिन) तथा मांस (वार्षिक) की उपलब्धता क्रमशः 165 ग्राम (प्रतिदिन) एवं 3.86 किलोग्राम (वार्षिक) से कम थी। तथापि, विभाग ने राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक उपयुक्त रूपरेखा विकसित नहीं किया।

राज्य/नाबाड़ पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा पशुधन क्रय के अभिलेखों का सत्यापन किए बिना राशि ₹ 8.30 करोड़ का अनुदान, 15 बैंकों को जारी किए गए जिसमें बैंकों द्वारा संवितरित वास्तिविक ऋण के बजाय उनके द्वारा स्वीकृत ऋण के आधार पर बैंकों को जारी किये गये ₹ 27.83 लाख के अधिक अनुदान भी सम्मिलित हैं।

सूकर त्रयी वितरण, नर सूकर एवं सांड वितरण योजनाओं के अंतर्गत सात नमूना जांच जिलों में निधि की उपलब्धता के बावजूद 4,533 में से 1,436 हितग्राहियों को पशुधन

प्रदाय नहीं किया गया। फलस्वरूप, इन योजनाओं के हितग्राही योजना लाभ से वंचित रहे। तथापि, योजना लाभ के मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति में में सुधार का आकलन नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3)

(iv) कृषि विभाग (कृषि प्रकोष्ठ) के निष्पादन लेखापरीक्षा पर आधारित अनुवर्ती लेखापरीक्षा

कृषि विभाग (कृषि प्रकोष्ठ) के निष्पादन लेखापरीक्षा पर आधारित समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्य) छत्तीसगढ़ शासन में सम्मिलित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा ने 10 अनुशंसाएं की थीं जिसे विभाग ने यथासंभव लागू करने पर सहमति व्यक्त की थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में से राज्य शासन ने कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली, योजना के दिशानिर्देश तैयार कर प्रचार-प्रसार करना, निर्मित लघु सिंचाई तालाबों को उपयोगकर्ता समूह/ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जाना तथा मैदानी अमलों की कमी को कम करने से संबंधित चार अनुशंसाओं का कार्यान्वयन किया।

पांच अनुशंसाएं यथा योजना निधियों के आबंटन एवं उपयोग, शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की कार्यप्रणाली, बीजों के नवीनतम किस्मों का वितरण, फसल चक्र प्रणाली एवं धान्य बीज के शीघ्र पकने वाली किस्मों को प्रोत्साहन तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का परीक्षण एवं वितरण, का कार्यान्वयन मात्र आंशिक रूप से किया गया था। तथापि, योजनावार लक्ष्यों के निर्धारण की अनुशंसा का बिल्कुल कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.4)

(v) अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर कमियां पाईं जो कि राज्य शासन की प्रभावशीलता पर असर डालती हैं। प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा (सात कंडिकाएं) में उजागर हुई कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को रेखांकित किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष नियमों और विनियमों के अनुपालन के अभाव, औचित्य लेखापरीक्षा, पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण तथा दूरदर्शिता/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता से संबंधित हैं। इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार है:

- पर्यटन विभाग के अंतर्गत राशि ₹ 18.90 करोड़ लागत से निर्मित भवन का आठ वर्षों से अधिक समय से अपूर्ण रहना और वसूली योग्य मूल्य वृद्धि भुगतान की राशि ₹ 61.97 लाख और निष्क्रिय कर्मचारियों पर निरर्थक व्यय राशि ₹ 3.72 करोड़।

(कंडिका 3.5.1)

- गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत पुलिस पब्लिक स्कूल के परिचालन हेतु रूपरेखा को अंतिम रूप देने में विलंब होने से राशि ₹ 6.24 करोड़ का निष्क्रिय निवेश एवं इसके अतिरिक्त पुलिस समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का नियत उद्देश्य पूरा नहीं होना।

(कंडिका 3.5.2)

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अनुबंध प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप दोषी ठेकेदारों से राशि ₹ 5.62 करोड़ की वसूली न होना ।

(कंडिका 3.5.3)

- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माप पुस्तिका में कार्य स्थल पर कार्य के वास्तविक क्रियान्वयन से बढ़ी हुई मात्रा के अभिलेखन के परिणामस्वरूप कार्य पर राशि ₹ 1.67 करोड़ का अधिक भुगतान जबकि दोषी ठेकेदार से राशि ₹ 2.57 करोड़ के अधिक भुगतान/शास्ति की राशि वसूली हेतु शेष ।

(कंडिका 3.5.4)

- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कठमुण्डा व्यपवर्तन योजना की स्वीकृति के दौरान घोंघा परियोजना के साथ ओवरलैपिंग कमांड क्षेत्र की पहचान में विफलता के कारण निष्क्रिय बांध पर ₹ 1.71 करोड़ का निष्फल व्यय ।

(कंडिका 3.5.5)

- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत पांच उद्योगों के निष्क्रिय हो जाने के पश्चात् उनसे ब्याज पर अनुदान को वसूल करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 1.14 करोड़ की हानि ।

(कंडिका 3.5.6)

- उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप पावर स्प्रेयर के क्रय पर 5,646 लाभार्थियों को राशि ₹ 1.46 करोड़ के सहायता की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति ।

(कंडिका 3.5.7)